राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह

संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों /शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक ,सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए पांच लाख रूपये अथवा इससे अधिक धन राशि का सहयोग देने वाले दानदाताओं को भामाशाह दिवस (28 जून)पर एक राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाता हैं।

ऐसे दानदाता जिन्होने शिक्षा क्षेत्र में भवन निर्माण,अतिरिक्त निर्माण/शाला भवनों की मरम्मत अथवा स्थाई साज सामान के रूप में पांच लाख रूपये अथवा इससे
अधिक धन राशि का सहयोग निर्धारित अवधि में किया हैं ,सम्मान हेतु पात्र होगे, प्रेरको के लिए पन्द्रह लाख रूपये अथवा इससे अधिक धन राशि का सहयोग करने वाले दानदाताओं को सहयोग हेतु प्रेरित किये जाने पर चयन हेतु पात्रता का मानदण्ड
निर्धारित किया गया हैं। ऐसे प्रेरकों का चयन तभी किया जायेगा उनके द्वारा प्रेरित दानदाता भी इस सम्मान हेतु चयनित हो और उन्हे इस समारोह में सम्मानित किया
जा रहा हों।

ये प्रस्ताव संबंधित संभागीय शिक्षा अधिकारी/निरीक्षक अपने अधीनस्थ जिले में स्थित विद्यालयों /शिक्षण संस्थाओं में सहयोग करने वाले दानदाताओं एवं दानदाताओं
को प्रेरित करने वाले प्रेरको के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तिथि तक आवश्यक
रूप से निदेशालय को भिजवाते हैं।

निदेशालय में प्राप्त प्रस्तावों को आयुक्त , प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भिजवायें जाते हैं। आयुक्त प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर अपने स्तर पर प्रस्तावों
को निर्णीत कर निर्धारित तिथि को भामाशाह पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था करते
हैं।

भामाशाह पुरस्कारों हेतु आयुक्त,प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से प्राप्त से विस्तृत विवरण प्राप्त किया जा सकता है। इस संबध मे प्रतिवर्ष माह फरवरी –मार्च मे आयुक्त प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर द्वारा दिशा निर्देश जारी किये जाते है।

राजस्थान – सरकार
निदेशालय,संस्कृत शिक्षा,राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःनिसंशि/शैक्ष–6(2)/भामा सम्मान/पं.3/2007–08/ **दिनांक**

संभागीय शिक्षा निरीक्षक/
संभागीय शिक्षा अधिकारी,
संस्कृत शिक्षा,राजस्थान

विषयः– राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह, 2008

संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह–शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिये पाँच लाख रूपये अथवा इससे अधिक धनराशि का सहयोग देने वाले दानदाताओं को गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी भामाशाह दिवस दिनांक (28.6.2008) पर एक राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाना है । गत वर्ष आयोजित राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में 01.01.2006 से 31.12.2006 तक की अवधि में विभाग द्वारा निर्धारित राशि का सहयोग करने वाले दानदाताओं एवं विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड की सीमा तक सहयोग करने वाले दानदाताओं को प्रेरित करने वाले प्रेरकों को सम्मानित किया गया था ।

इस वर्ष आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में 01.01.2007 से 31.12.2007 तक की अवधि में विभाग द्वारा निर्धारित धनराशि का सहयोग करने वाले दानदाताओं एवं 01.01.2006 से 31.12.2006 तक की अवधि के लिये निर्धारित राशि का सहयोग करने वाले दानदाता जो गत वर्ष सम्मानित होने से वंचित रह गये थे, उन्हें भी शामिल कर सम्मानित किये जाने का निर्णय लिया गया है । ऐसे दानदाता जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भवन निर्माण/अतिरिक्त निर्माण/शाला भवनों की मरम्मत अथवा स्थाई साज सामान के रूप में पाँच लाख रूपये अथवा इससे अधिक राशि का सहयोग निर्धारित अवधि में किया है, सम्मान हेतु पात्र होगें। प्रेरकों के लिये 15 लाख रूपये अथवा इससे अधिक धनराशि का सहयोग करने वाले दानदाताओं को सहयोग हेतु प्रेरित किये जाने पर ही चयन हेतु पात्रता का मानदण्ड निर्धारित किया गया है । ऐसे प्रेरकों का चयन तभी किया जायेगा जबकि उनके द्वारा प्रेरित दानदाता भी इस सम्मान हेतु चयनित हों और उन्हें इस समारोह में सम्मानित किया जा रहा हो ।

उपरोक्तानुसार निर्धारित मानदण्डों की श्रेणी में आने वाले दानदाताओं एवं प्रेरकों के प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आपकी स्पष्ट अभिशंषा सहित निदेशालय में भिजवाने की अंतिम तिथि **25.04.2008** निर्धारित की गई है । इस तिथि के बाद प्रेषित प्रस्तावों पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा ।

अतः समस्त संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा निरीक्षक/अधिकारियों को पाबन्द किया जाता है कि अपने अधीनस्थ जिले में स्थित विद्यालयों /शिक्षण संस्थाओं में सहयोग करने वाले दानदाताओं एवं दानदाताओं के प्रेरित करने वाले प्रेरकों के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से निदेशालय को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । अपूर्ण प्रस्ताव निरस्त होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

भामाशाह सम्मान समारोह, 2008 हेतु भामाशाहों एवं प्रेरकों के चयन हेतु निम्न दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते हैं :–

1. न्यूनतम पाँच लाख रूपये की धनराशि तक का शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने वाले दानदाताओं का ही चयन किया जाये, जिन्होंने विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में सहयोग किया है ।

2. यदि दानदाता ने सम्पूर्ण भवन का निर्माण करवाया है तो उनके द्वारा निर्मित भवन का विधिवत् दानपत्र विभाग के पक्ष में लिखा जाना आवश्यक है । यदि उनके द्वारा भूमि दान में दी गई है,तो भी प्रदत्त भूमि का दानपत्र विभाग के पक्ष में विधिवतृ लिखा जाना आवश्यक है । यदि विधिवत् दानपत्र विभाग के पक्ष में निष्पादित नहीं हुआ है तो ऐस प्रस्ताव चयनित नहीं किये जायें ।

3. यदि किसी दानदाता ने स्थाई साज सामान के रूप में पाँच लाख रूपये अथवा इससे अधिक का

सहयोग दिया हो तो उसके द्वारा उपलब्ध करवाये गये साज सामान की संस्था के स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर यह प्रमाण पत्र देना होगा कि संबंधित दानदाता द्वारा इस योजना में दिये गये साज सामान का स्टॉक रजिस्टर में विधिवत इन्द्राज कर लिया गया है । यह प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान द्वारा दिया जायेगा सामान की लागत का प्रमाणित प्रमाण पत्र (वाऊचर) प्रस्तुत किया जाये एवं इस पर संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा निरीक्षक/अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होगें ।

4. यदि किसी दानदाता ने भवन में अतिरिक्त निर्माण/चारदीवारी निर्माण /मरम्मत/बच्चों की छात्रवृत्ति / पुस्तकालय हेतु सहयोग आदि के रूप में पाँच लाख रूपये अथवा इससे अधिक का सहयोग दिया है तो उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग राशि के पूर्ण विवरण लागत सहित संस्था प्रधान प्रमाणित कर संभागीय संस्कृत शिक्षा निरीक्षक/अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर से प्रस्ताव के साथ संलग्न करें ।

5. भामाशाह से तात्पर्य दानपत्र पर हस्तार करने वाले अथवा मूल सहयोग देने वाले दानदाता से ही है। यदि किसी दानदाता की मृत्यु हो जाती है तो उसको यह सम्मान (मरणोपरान्त) उसी दानदाता के नाम से ही दिया जायेगा। ऐसे दानदाताओं के प्रस्ताव में संक्षिप्त जीवन परिचय भिजवाते समय ध्यान रखा जाये कि फोटोग्राफ एवं परिचय ऐसे मूल दानदाता के ही भेजे जायें। इनका सम्मान उनकेउत्तराधिकारी प्राप्त करेगें जिसके लिये संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी/निरीक्षक उन्हें अधिकृत कर अधिकृत पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ लगायें एवं भेजे जाने वाले प्रस्ताव में भी इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख करें ।

6. विद्यालय क्रमोन्नत करवानेके संबंध में योगदान देने वाले सहभागिता योजना के दानदाताओं को इस सम्मान समारोह हेतु चयनित नहीं करें । ऐसे प्रकरणों के प्रस्ताव न भेजें ।

7. जन सहभागीय विद्यालय मरम्मत योजना के अन्तर्गत पाँच लाख रूपये अथवा अधिक का विद्यालय मरम्मत कार्य/अतिरिक्त निर्माण कार्य आदि में योगदान देने वाले दानदाताओं को भी इस सम्मान समारोह में शामिल किया जाना है, अतः ऐसे प्रस्ताव भी भिजवायें ।

8. इस वर्ष के लिये01.01.2006 से 31.12.2006 एवं 01.01.2007 से 31.12.2007 तक की अवधि में न्यूनतम 15 लाख रूपये अथवा इससे अधिक योगदान देने वाले दानदाता को प्रेरित करने वाले प्रेरकों का ही प्रेरक के रूप में चयन किया जाना है । अतः इस सीमा से कम योगदान देने वाले प्रेरकों के प्रस्ताव न भिजवायें ।

9. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी/निरीक्षक प्रेरकों के प्रस्ताव अपनी अभिशंषा सहित निदेशालय को निर्धारित अवधि में भिजवायेंगें ।

इस परिपत्र के साथ भामाशाहों एवं प्रेरकों के प्रस्तावों के आवेदन पत्रों का प्रारूप संलग्न कर भिजवाया जा रहा है । जिसे पूर्ण भरवाकर दो फोटो सहित प्रस्ताव समेकित कर भामाशाहों के प्रस्ताव एवं प्रेरकों के प्रस्ताव संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा निरीक्षक/अधिकारी निर्धारित तिथि **25.4.2008** तक निदेशालय कों भिजवायेंगें । भामाशाह एवं प्रेरकों के प्रस्ताव के साथ पूर्ण विवरण सहित विभागीय पत्रांक 5964-69 दिनांक 02.03.2006 के बिन्दु संख्या 4 में उल्लेखित वांछनीय दस्तावेज की प्रतियां संलग्न करें । संबंधित भामाशाह/प्रेरक की एक फोटो फार्म पर निर्धारित स्थान पर चिपकाकर एवं एक फोटो ''यू'' पिन के सार्थ फार्म के साथ संलग्न कर भिजवानी है । ''यू'' पिन के साथ भेजी जाने वाली फोटो के पीछे संबंधित दानदाता/प्रेरक का पूरा नाम पता अवश्य लिखा जाये ।

ध्यान रहे निर्धारित तिथि के बाद प्रेषित किये जाने वाले किसी भी प्रस्ताव पर विचार किया जाना संभव नहीं होंगा । निर्धारित आवेदन पत्र के फार्म में सभी कॉलम पूरे भरे होने चाहिये तथा उपरोक्त दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है । आधे अधूरे अपूर्ण प्रस्ताव अस्वीकृत किये जा सकते हैं । यदि कोई भामाशाह या प्रेरक प्रस्ताव के अभाव में सम्मान से वंचित रहता है तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा निरीक्षक/अधिकारी का होगा । अतः हर संभव प्रयास कर निर्धारित तिथि तक प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाने हेतु पाबन्द किया जाता है । प्रस्तावों के साथ भामाशाह का संक्षिप्त परिचय अवश्य भिजवायें ।

संयुक्त निदेशक,
संस्कृत शिक्षा,राजस्थान,जयपुर